Women Empowerment

Editor
Prof. Pandurang Muthe

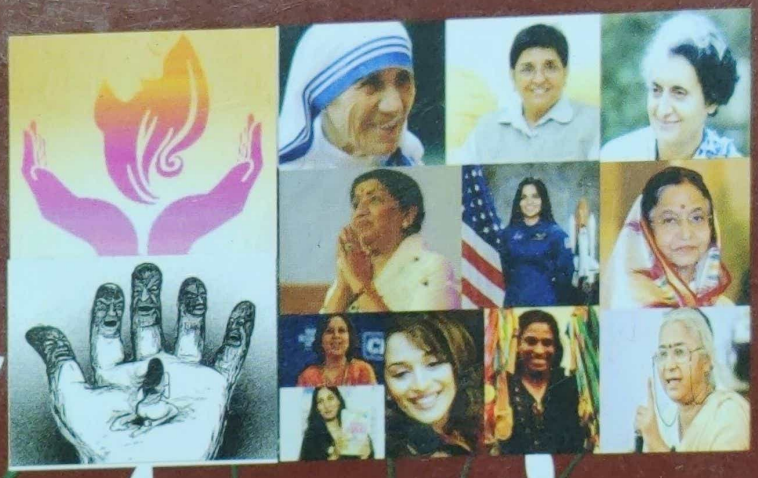

70. Selfhelp Group And women 377
Vitthal Sakharam Najardhane
71. WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN INDIA:.....380
EMERGING REASONS & CHALLENGES
Miss. Aparna A.Rudrawar
72. A RESEARCH PAPER ON WOMEN LIFE 385
IN SCHEDULE CASTE AND SCHEDULE TRIBE
BY: SUNDARAJU.S.
73. SELF HELP GROUP AND WOMEN 391
RAMULU.B. MEDHAK
CHANDRAKANT BARAGALI
74. HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR 396
EMPOWERING WOMEN
DR. DISALE MAHADEO SADASHIV
75. Educational Plight of Women Belonging Rural Area. 402
Prof. Smt. Varsha B. Kharobe

Part - 2

1. नारी के स्वास्थ्य निर्माण में योग दर्शन की भूमिका 419
डॉ. आचार्य निशा जोशी
२. पंचायतीराज में महिलाओंका सहभाग.....424
प्रा.डॉ.पांडुरंग पं. मुंढे
३. समकालीन नारीवादी उपन्यासों में कामकाजी 428
महिलाओं की समस्याओं का चित्रण
प्रा. जाधव ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब
४. आधुनिक हिंदी कविता में नारी चित्रण 433
प्रा. इंगळे अमोल रमेश
५. पंचायतों के नेतृत्व में कमजोर वर्गों की जागरूकता 437
श्री एस. बी. शिंदे, डॉ. डी. एल. बंजारा,
६. कामाकाजी महिलाओं की समस्याएँ 444
डॉ. संतोष विजय येरावार

ISBN - 978-93-5240-049-2

६.

कामाकाजी महिलाओं की समस्याएँ

डॉ. सतोंष विजय येरावार
हिन्दी विभाग प्रमुख
देगलूर महाविद्यालय देगलूर
ता.देगलूर जि.नांदेड.

कामकाजी शब्द कामकाज में **इ** प्रत्यय लगाने से बना है | कामकाज में दो शब्द है काम तथा काज | काम शब्द संस्कृत के कर्म से तथा काज शब्द संस्कृत के कार्य से व्युत्पन्न हुआ है | कामकाजी का अर्थ हुआ कर्म, कार्य, व्यवसाय, इच्छा,कामना, नौकरी, रोजगार आदि | काजी अर्थात काम में लगा रहने वाला उद्यमी |कामकाजी नरी के विषय में डॉ. प्रमिला कपूर का कथन है कि यह शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वेतनवाले कामधंदो में लगी है, उनके लिए नहीं जो समाज सेवा में रत है या अवैतनिक रुप से काम कर रही है | अंग्रेजी में कामकाजी के लिए Working शब्द मिलता है | वर्किंग के मूल में वर्क जिसका अर्थ है बौध्दिक तथा शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके जिकिा अर्जन के लिए किया जानेवाला कोई काम भौतिकता के प्रति अर्कषण,आवश्यकताओं मे संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृध्दि, जनसंख्या में वृध्दि, वैज्ञानिक उपकरणों का मोह उच्चस्तरीय रहन सहन, परिवार में आवश्यक विविधसुविधाओं की पुर्तता, महंगाई एवं आत्मनिर्भरता हेतू महिलाएँ नौकरी की और प्रवृत्त हुई है | आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों ने नारी का अर्थ की प्राप्ति के लिए ग्रहस्थ प्रबंध की समस्या से हटाकर कामकाजी नारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया | कामकाजी नारी सामाजिक प्रतिष्ठा को तो पा लेती है परंतु उसका जीवन विविध समस्याओं से घिर जाता है |

विवाहित कामाकाजी महिला, अविवाहित कामकाजी महिला विधवा एवं परित्याक्त्या नारी, ग्रामीण तथा शहरी कामकाजी महिलाओं की समस्याओं में विविधता है | कामकाजी महिला कोई भी हो वो समस्या से ग्रस्त है |

कामकाजी नारी का जीवन अत्यंत प्रताडित, संत्रास और वेदना से भरा हुआ है| पुरुष प्रधान समाजव्यवस्था में औरत का अकेला रहना अत्यंत्य कठीन और दुख भरा है | पुरुष दुसरी स्त्री से संबंध रख सकता है बिना किसी पारिवारिक एवं सामाजिक भय से परंन्तु कामकाजी स्त्री पराये पुरुष से वार्तालाप भी करे तो उसे कुल्टा और चरित्रहिन समजा जाता है | कामकाजी नारी

ISBN - 978-93-5240-049-2

शारिरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर एवं उदासीन हो जाती है| अधिकतर पुरुषो के दृष्टि से कामकाजी नारियाँ चरित्रहिन होती है और नौकरी करने से घमंडी और उदंड हो जाती है | कामकाजी नारी ने आपने आप को स्वयभु सिदध किया है कि वह किसी भी क्षेत्र मे पुरुषो से कम नही है, पंरतु पुरुषी अहंकार और पुरुषो व्दारा स्थापित व्यवस्था नें स्त्रियों को सन्देह की दृष्टि से देखा हैं | इसिकारण कामकाजी नारी के घटस्फोट की संभावनाँए बढ जाती है | यही कामकाजी नारी की सबसे बडी समस्या हैं | कामकाजी नारी के संबध में और कामकाजी नारी के समस्या निवारन हेतू कौन-कौन से कानून हँ इसे देखना नितांत आवश्यक हैं | भाग ३ अनुच्छेंद १४ विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद १५ के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुध्द केवल धर्म, मूलवंश,जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा | अनुच्छेद १६ के अनुसार राज्याधीन नौकरियाँ या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्धं मे सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी | भाग चार अनुच्छेद ३९ के अनुसार राज्य समान रुप से नर और नारी सभी नागरिकों के जिविका के प्रयाप्त साधन प्रदान करेगा पुरुषों और स्त्रियों दोंनो को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा | अनुच्छेद ४२ के अनुसार राज्य काम की न्याय और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रस्तुति सहाय्यता के लिए प्रबंध करेगा | वर्तमान में कामकाजी महिलाओंको प्रसूति हेतू छ. माह की वेतनी छुट्टी प्राप्त होती है |

भाग, पन्द्रह, कानूनी उपबंध के अनुसार शिशू हत्या को अवैध घोषित किया गया | भारतीय तलाक अधिनियम के अनुसार पत्नी को विवाह भंग करने को अधिकार दिया गया | विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम १८७४ के अनुसार किसी विवाहीत महिला कावेतन और आय तथा उसकी अर्जित संपत्ति, उसकी प्रथक संपत्ति होगी | अधिनियम के अनुसार किसी महिला को केवल महिला होने के कारण विधि व्यवसायी होने से नहीं रोका जा सकता | कारखाना अधिनियम १९४८ खदान अधिनियम १९५२, और बागान श्रमिक अधिनियम १९५७ के अनुसार ७ बजे सायंकाल से लेकर ७ बजे सुबह तक महिलाओं को काम पर लगाने का निषेध किया गाया है | और काम के घंटे नियमित किये गए है | इसी अधिनियमों के अंतर्गत कामकाजी महिलाओंकी सुरक्ष और कलण को लिए व्यवस्था है |

प्रस्तुति लाभ अधिनियम १९६१ सभी संस्थाओं, खदानों, कारखानों पर लागू होता है | इसमें औरसत दैनिक वेतन की दर से प्रसूति लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था हैं | ठेकाश्रम अधिनियम १९७० के अनुसार निर्माण कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए शिशूग्रह खोलने की व्यवस्था की गयी है | ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम १९७२ के अनुसार कारखोंनो, खदानों, तेल क्षेत्रो, नागानों, रेल कंपनियों, दुकानों आदि के प्रबंधको व्दारा अनिवार्य ग्रेच्युटी भुगतान योजना दी गई है | महिला समस्या के संबध में विविध कानून होने के बावजूद समाज व्यवस्था में महिलाओंका

ISBN - 978-93-5240-049-2

प्राधान व्यवस्था के कारण कामकाजी नारी को परिवार और रोजगार दोंनो सभालने होते है. जिसका परिणाम उसके स्वास्थ पर होता हैं | डायबिटीज, थायरॉयड, कमरदर्द,मोटापा,दिल की बीमारियाँ,तथा मानसिक अवसाद, जैसी बिमारियाँ से प्रभावित हो जाती हैं | कामकाजी नारी का कार्यस्थान पर मानिसक वं शारिरिक शोषण किया जाता हैं | या अपनी वासनाका शिकार बनाया जाता हैं| स्त्री चाहे कितनी ही काम करनें मे सक्षम क्युँ ना हो, सभी उसकी गलीत निकालने और उसका शोषण करने मे अपना पुरुषत्व समझते है | बेचारी स्त्री जीविका से हाथ धो बैठने औरअन्य कर्मचारियो, परिवार और समाज के सामने प्रतिष्ठा की हानि के डर से आवाज नही उठाती है | उसका जीवन तलवार की धार पर चलने के समान होता है | अतः समाज का ढांचा बदल रहा है पर मानसिकता नही और यही कामकाजी नारी के समस्या की जड है |

❑❑❑